HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6097/2026
CNR: RJHC010460862026
URN: CRLMB / 13524U / 2026

Prabhu Ram S/o Banna Ram, Aged About 21 Years, Resident Of Pipasar, Police Station Sribalaji District Nagaur. (At Present Lodged In District Jail, Nagaur).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Pp
2. Nirma D/o Banna Ram, Resident Of Pipasar, Police Station Sribalaji District Nagaur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Lal Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Ravindra Kumar Acharya

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

16/07/2026

01. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार आचार्य उपस्थित है अतः औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

02. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **श्रीबालाजी, जिला नागौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **100/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **64(2)(एफ) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

03. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

04. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में पीड़िता बतौर पी.डब्ल्यु 1, पीड़िता की माता बतौर पी.डब्ल्यु 2 व पीड़िता के पिता बतौर पी.डब्ल्यु 3 परीक्षित हुए हैं। तीनों ही गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता ने प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा कोई गलत काम नहीं करना बताया है। किसी अन्य व्यक्ति विकास द्वारा उसकी सहमति से संबंध बनाना न्यायालय

के बयान में बताया है। पीड़िता की माता ने भी यह बताया है कि पीड़िता ने उसको विकास नामक व्यक्ति द्वारा संबंध बनाना बताया था। पी.डब्ल्यु 3 पीड़िता के पिता ने भी पेट में गर्भ विकास का होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने में अनापत्ति प्रकट की।

06. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में गवाह पी.डब्ल्यु 1 लगायत पी.डब्ल्यु 3 तीनों द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। जिन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बलात्कार करने से इनकार किया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **प्रभुराम पुत्र बन्नाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

4/SN Lohra/336